## <u>Instructions for Online Application for Renewal Wholesale Licenses</u>

- 1. This process is for those Licensee, who desire to renew the FL2/FL2B/CL2 Licenses, which had been issued last year
  - यह प्रक्रिया FL-2, FL-2B व CL-2 थोक अनुज्ञापियों के वर्तमान लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु है| नवीनीकरण के पात्र अनुज्ञापी इस प्रक्रिया द्वारा अपने वर्तमान लाइसेंस को वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत करा सकते हैं |
- 2. The Licensee, intent to renew the License, shall select the "Online Application/Registration" block on Home page of the www.upexciseonline.in and select the option for the "Wholesale Registration / Renewal" option नवीनीकरण हेतु इक्षुक अनुज्ञापी www.upexciseonline.in पोर्टल के होम पेज पर "Online Application/Registration" ब्लाक को क्लिक कर "Wholesale Registration / Renewal" विकल्प
- 3. Using this option, the user gets the facility to login using their registration credentials. When Licensee desires to get renewed their all or some of their last year licences, they must press the Renewal Button provided on the Login Screen.

को चुनें।

द्वारा पोर्टल पर की जायेगी।

- इस प्रक्रिया से अनुज्ञापी को लाग-इन करने हेतु स्क्रीन दिखाई देगा जिसपर renewal हेतु एक बटन दिया गया है| इस बटन को क्लिक करके नवीनीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है |
- 4. User has to provide their PAN number and the registered mobile number ( which had already been provided during last year registration ), on which one OTP shall be sent via SMS and user has to enter the OTP received on their registered mobile number. अनुज्ञापी को अपने PAN व पंजीकृत मोबाइल नम्बर, जोकि इस वर्ष के लाइसेंस हेतु पोर्टल पर पंजीकृत की गयी थी, की एंट्री करनी होगी। अनुज्ञापी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक OTP भेजा जायेगा जिसकी पृष्टि अनुज्ञापी
- 5. After confirmation of the PAN, Mobile no and OTP, user shall be registered on portal for renewal of Licences.
  - पोर्टल द्वारा PAN, मोबाइल नम्बर व OTP की पुष्टि के उपरान्त, अनुज्ञापी को वर्ष 2020-21 हेतु पंजीकृत कर लिया जावेगा। इसके पशचात अनुज्ञापी के मोबाइल पर पासवर्ड SMS द्वारा भेज दिया जायेगा।
- 6. Now User has to login with the credentials provided on their registered mobile number and portal will show all the Licences issued last year on this Registration
  - अनुज्ञापी, अपने यूजर/पासवर्ड के द्वारा पोर्टल के द्वारा "Wholesale Registration / Renewal" पेज पर लागिन कर वर्ष 2019-20 में जारी समस्त लाइसेंसों की सूची देख सकते हैं |
  - User may choose one or more licences, which he/she wants to renew for the year 2020-2021. All selected license details shall be transferred to license application block with renewal flag.
  - इनमें से जिन लाइसेंसों को अनुज्ञापी वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकृत करना चाहता है उनका चयन कर नवीन वर्ष हेतु आवेदन करें।

- 7. In case of renewal no data, which was recorded during year 2019-20 licensing process, can be changed
  - नवीनीकरण हेतु आवेदन में वर्ष 2019-20 के लाइसेंस के किसी भी डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- 8. User has to submit the Renewal Fee and the Licence Fee using the payment gateway provided on-screen and upload the security deposit instrument by entering the details of the security deposit.
  - प्रत्येक नवीनीकरण हेतु आवेदन के सापेक्ष, अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क व लाइसेंस शुल्क पेमेन्ट गेटवे से आनलाइन जमा करना होगा तथा सिक्योरिटी जिस माध्यम से जमा की गयी है उसका विवरण तथा प्रपत्र की स्कैन कापी अपलोड करनी होगी।
  - 9. The Licensee can view the details associated with last year licence including the Godown location, but should not be able to change any of the data. In case any change is required in the said data, Licensee should apply for a new licence and does not opt for renewal.
  - अनुज्ञापी अपने आवेदन पर अंकित वर्तमान वर्ष से लिया गया विवरण देख सकते हैं जिसमे गोदाम की स्थिति भी शामिल है। सभी विवरण स्वीकार होने की स्थिति में आवेदक अपने आवेदन को FINALIZE कर सकते हैं। यदि विवरण में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता और अनुज्ञापी को नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन देना होगा।
- 10. Once the Renewal Application is finalized by the Applicant, it shall be displayed to the concerned DEO for review and forwarding to the concerned Charge Office. अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण आवेदन को FINALIZE करने के पशचात, उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के लागिन पर आवेदन उप-आबकारी आयुक्त ( चार्ज ) को अग्रसारित करने हेतू उपलब्ध होगा।
- 11. The Joint Commissioner Zone shall get the forwarded renewal applications from all the Charge offices in the Zone for final approval/ rejection.
  - उप-आबकारी आयुक्त ( चार्ज ) द्वारा अग्रसारित करने पर आवेदन संयुक्त आबकारी आयुक्त ( जोन ) के लागिन पर अनुमोदन हेतु उपलब्ध होगा |
- 12. After approval of the Joint Commissioner, the concerned Dy. Commissioner Charge shall be able to generate the Licence and digitally sign the same.
  - संयुक्त आबकारी आयुक्त ( जोन ) के अनुमोदन के उपरान्त, लाइसेंस प्रिंट व डिजिटल हस्ताक्षरण हेतु उप-आबकारी आयुक्त ( चार्ज ) के लागिन पर प्रदर्शित होगा |
- 13. After Digital Signature of Dy. Commissioner, the Licences shall be available to the Applicant for download.
  - उप-आबकारी आयुक्त ( चार्ज ) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरण के पशचात अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकृत लाइसेंस डाउनलोड हेत् उपलब्ध हो जायेगा।